

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)
क्रमांक / 55 / वाचक / 2026 जशपुर, दिनांक 07 / 05 / 2026

प्रति,

रा.प्र.क्र. / अ-62 / 2025-26
ग्राम जशपुर प.ह.नं. 07 तहसील-जशपुर

1. वन परिक्षेत्राधिकारी,
जशपुरनगर
2. राजस्व निरीक्षक,
रा.नि.मं.-आरा तहसील जशपुर

विषय :- Construction of 4-lane Pathalgaon-Kunkuri-CG/JH Border Section of NH-43 starting from end point Of NH-130A design Ch. 00+000 to Ch. 104+250 (From Turua Ama Village to Putrichoura village) as part of Raipur-Dhanbad Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna (Lot5/Pkg-7) in the State of Chhattisgarh (Total Length-104.25 Km) परियोजना में प्रभावित वृक्षों के विदोहन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) का पत्र क्र. 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024

—:00:—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचनाकर्ता/आवेदक परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) ने अपने पत्र क्रमांक 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम नारायणपुर स्थित 1303 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उक्ताशय के संबंध में संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र प्ररूप-घ में तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)
विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में ~~10.5.2026~~
दिनांक 10.5.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित
रहे -


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)
(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री
(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के
अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 14
(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं.....
दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-14
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 14
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 35/2/क रकबा 0.302 हे. भूमि में कुल 14 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं
भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में ~~10.05.26~~ दिनांक 10.05.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)
- (ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री
- (ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-


- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 06
- (ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
- (ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
- (ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-06
- (ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 06
- (घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 35/2/ख रकबा 0.049 हे. भूमि में कुल 06 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:-

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में 10.5.26

दिनांक

को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित

रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 247

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की 1 (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-247


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 247

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 4 रकबा 0.336 हे. भूमि में कुल 247 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में दिनांक 10.5.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 15

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-15

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 15

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 13/1/क रकबा 0.024 हे. भूमि में कुल 15 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में दिनांक 10.5.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 13

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की 1 (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-13

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 13

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 13/1/ख रकबा 0.130 हे. भूमि में कुल 13 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 52

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-52


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 52

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 39/1/क रकबा 0.875 हे. भूमि में कुल 52 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 12

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-12


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 12

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 39/1/घ रकबा 0.283 हे. भूमि में कुल 12 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में दिनांक 10.05.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 11

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-11

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 11

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 31/2 रकबा 0.254 हे. भूमि में कुल 11 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 551/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम नारायणपुर चिरवारी में दिनांक 10.05.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्रीमती सावित्री

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री जगेश्वर राम, सुरजन राम

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की 1 (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 03

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 3 रकबा 0.002 हे. भूमि में कुल 03 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

पंचनामा

स्थान - नारायणपुर
चिरवारी
दिनांक 10.05.2026

(छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (अ.) जशपुर,
जिला - जशपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1551/वाचक/
2026 जशपुर, दिनांक 07/05/2026 के परियालम
में भारतमाला सड़क निर्माण में प्रभावित ग्राम
नारायणपुर चिरवारी के वृक्षों के विदाह्न के अनुभूति
प्रमाण प्रदान करने के संबंध में प्रभावित वृक्षों और
प्रमुख ग्रामवासियों की उपस्थिति में नारायणपुर डिप्टी
1303 नंग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का मौजूदगी में जांच
किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र 04.06.2026

0011

उड सीमा
नारायणपुर
भूमि पर
वृक्षों की

संयुक्त
माला
णपुर
पर
गारा

क्र
1)

क्र.	खसरा नं.	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की संख्या	वृक्ष की मोटाई	वृक्ष की अनुमानित ऊँचाई मी.	
1	35/215	बेदा	1	210	22	
		महुआ	2	80	10	
		आम	1	500	22	
		खाल	10	70	10	
2	35/21 ख	खाल	6	80	12	
3	4261	खाल	155	150	20	
		महुआ	11	90	18	
		पार	95	100	15	
		आम	8		12	
4	13/1/5	आम	3	390	15	
		पार	2	80	10	
		खाल	9	50	15	
		जामुन	1	110	15	

क्र.	खसरा नम्बर	वृक्ष की उजागी	वृक्षों की संख्या	वृक्ष की गोलार्ध	वृक्ष की अनुमानित डीपई मीटर
5	13/1/ख	साल	12	70	12
		अम	1	100	15

6	39/1/क	साल	35	110	15
		अम	1	100	15
		साजा	1	90	10
		पार	9	110	18
		अरकसिका	2	100	110
		महुआ	4	95	

7	39/1/घ	अम	1	130	15
		पार	3	110	20
		साल	8	80	12

8	31/2	करंज	2	110	12
		महुआ	2	130	10
		साल	1	100	12
		पार	6	80	10

9	3	साल	3	70	12
---	---	-----	---	----	----

कुल योग

401

Signature
सरपंच :-
श्रीम. रंजना नारायणपुर
श्रीम. रंजना जशपुर
श्रीम. जशपुर (छोग)

ग्राम नारायणपुर चिरवादी प-ह-नं. 18, रा. नि. सं.

भारत, तटवर्ती कानून अधिनियम 1956 के अंतर्गत
संयुक्त निर्माण हेतु जमीन अधिनियम 1956 के अंतर्गत
कृषि पट्टा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जमीन
कृषि पट्टा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जमीन
कृषि पट्टा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जमीन
कृषि पट्टा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जमीन

जशपुर (छ.ग.)

दिनांक 04.06.202

200011

गण0)

खण्ड सीमा
नारायणपुर
भूमि पर
वृक्षों की
संयुक्त
रतमाला
रायणपुर
ने पर
धारा

एवं
(ज)
ओं

- 1 - सुरजन राम
- 2 - गोबिंद राम
- 3 - जगेश्वर राम
- 4 - रामेश्वर
- 5 - धुमल सिंह
- 6 - महिंद्र सिंह
- 7 - मनपुरा राम
- 8 - देवनंद राम
- 9 - राजेंद्र राम
- 10 - श्रीराम राम

चंद्रशेखर पटेल
प.ह.नं... रा.नि.मं...
तह. जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

Chandrasekhara
Lokhandi
Beel

पं. वं. शांति

11 गे. वं. शांति

Handwritten signature and stamp

सरपंच
ग्राम पंचायत नारायणपुर
जनपद पंचायत जशपुर
जिला - जशपुर (छ.ग.)